



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 4134
प्रति,

विभागाध्यक्ष/निदेशक,
समस्त अध्ययनशाला/संस्थान,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त स्वशासी महाविद्यालय,
विक्रम विश्वविद्यालय, परिक्षेत्र।

दिनांक :- 13-10-16

विषय :- मध्यप्रदेश सरकार से न्याय मूर्ति श्री राजेन्द्र समिति की सिफारिशें लागू करवाने बाबत।

- संदर्भ :- (1) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल का क्रमांक/662/201/आडशि/शाखा-5(अ)/2016, भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2016,
(2) क्रमांक/541/201/आडशि/शा-5(अ)/2016, भोपाल, दिनांक 02.08.2016,

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्राप्त उक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचित है कि, पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आपके द्वारा कार्यवाही की गई हो तो उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल को अवगत कराये। एवं उसकी एक छायाप्रति विश्वविद्यालय को भेजने की व्यवस्था करें तथा उपरोक्तानुसार आपके महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई हो तो इस संबंध में कार्यवाही करें।

आदेशानुसार

संलग्न :- यथोपरि।

10/10/16
प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/ 4135

दिनांक :- 13-10-16

प्रतिलिपि :-

01. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
02. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि, उक्त पत्र संलग्न पत्रों सहित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
03. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निर्जी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

अनुभाग अधिकारी (अकादमिक)

Academic ^{अभ्यास}
1638
22/9/16

✓
D.S.W.
22/9
23/9

स्मरण-पत्र

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, रातपुरा भवन
मध्यप्रदेश शासन-462004

1638
22/9/16

क्रमांक 662, 201, आदेशि (शाखा-5(अ)), 2016, भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2016
प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश (विश्वविद्यालय छतरपुर, भोपाल को छोड़कर)
2. प्राचार्य,
समस्त स्वशासी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

प्रॉक्टर
383
23-9-16

विषय: मध्यप्रदेश सरकार से न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र समिति की सिफारशें लागू करवाने बाबत।
संदर्भ:-कार्यालयीन पत्र क्रमांक 541/201, आदेशि शा-5अ, 2016 दिनांक 2.9.16

आपसे संदर्भित पत्र के संबंध में दिनांक 15.9.2016 तक जानकारी चाही गई थी। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। पुनः स्मरण करते हुए कार्यलयीन पत्र दिनांक 2.9.2016 पर आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गई है। कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 20.9.2016 को 2.00 बजे तक अवगत कराने का प्रयत्न करें, जिससे अवरुद्ध, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को सूचित किया जा सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

प्राप्त:-
DSW/जावफ/103/

दिनांक 22-9-16

समय:- 2:35 P.M.

सुनील

A. Jaiswal
(डॉ. अजय अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

DSW/जावफ/4011/

दिनांक 23/9/16

संश्लेषी 22/9

सुनील
23/9/16

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 541/2016/आजशि, 'सा-8/अ', 2016
प्रति,

भोपाल, दिनांक 02/8/2016

- (1) कुलसचिव,
समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालयों,
मध्यप्रदेश
- (2) प्राचार्य,
समस्त स्वशासी महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश


विवरण- मध्यप्रदेश सरकार से न्यायमूर्त श्री राजेन्द्र समिति को सिफारिशें लागू करवाने बाबत।
संदर्भ-1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1033, 800, आजशि, 'सा-1', 2016 दिनांक 13.7.2016
2. उपसंचालक, पिरुंडा बर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण के पत्र क्र.2873 दिनांक 12.7.16

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में लेख है कि उल्लिखित अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विन्दु पर कार्यवाही को जाना है। जो नीचे उल्लिखित है:-

- सभी सामाजिक-धार्मिक क्षेत्रों में अपने पिरुंडा बर्ग का नियमित विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों में जाचिले का बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक प्रवेश प्रक्रिया को विकसित करने की जरूरत है।

अतः उक्त विन्दु पर आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गई है। और आगामी सत्र के लिए क्या योजनाएं हैं। कृपया इसकी जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 15.8.2016 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आपर संचालक उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)


(डॉ. अजय अग्रवाल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश